कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19,
नवा रायपुर अटल नगर–492002

–:: आदेश ::–

नवा रायपुर दिनांक **अगस्त, 2026**

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–बालोद का पत्र कमांक/आब./अप./2026/2246 दिनांक 30.07.2026 एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–धमतरी के पत्र कमांक/आब./अप./2026/1004 दिनांक 30.07.2026 के प्रतिवेदन अनुसार थाना अर्जुनी जिला धमतरी के द्वारा दिनांक 25.07.2026 को 53 पेटी अवैध देशी एवं विदेशी मदिरा जप्त की गई। उक्त जप्तशुदा मदिरा के स्त्रोत के संबंध में विवेचना करने पर जप्तशुदा पेटियों से प्राप्त शिशियो में लगे होलोग्राम की संख्या की जांच करने पर मदिरा का विक्रय देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार, जिला–बालोद के द्वारा किया जाना पाया गया। इस प्रकार उक्त मदिरा को निर्धारित विक्रय सीमा से अधिक मात्रा में, थोक में विक्रय किया जाना पाया गया ।

2/ उक्त मदिरा दुकान **श्री आशा राम शाक्य, आबकारी उप निरीक्षक** वृत्त प्रभारी गुरूर, जिला–बालोद के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3/ निलंबन काल में **श्री आशा राम शाक्य, आबकारी उप निरीक्षक** का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग, दुर्ग (छ.ग.) रहेगा।

4/ निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Digitally signed by
Padum Singh Alma
Date: 05-08-2026
18:31:10

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्रमांक / आब. / अपराध / 2026 / नवा रायपुर दिनांक अगस्त, **2026**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर (आबकारी), जिला–बालोद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला आबकारी अधिकारी, जिला–बालोद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कोषालय अधिकारी, जिला–कोषालय, जिला जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री आशा राम शाक्य, आबकारी उप निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–बालोद (छ.ग.) की ओर पालनार्थ प्रेषित।

सही / –
आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर